

## कार्यालय आदेश

बियाडा के निदेशक पर्सद की 45वीं बैठक दिनांक 11.06.14 के कार्यावली संख्या 04 में औद्योगिक इकाईयों को किए जाने वाले लीजडीड क्रियान्वयन के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया गया:-

1. निदेशक पर्सद द्वारा अनुमोदित प्रारूप (संलग्न) के अनुसार ही औद्योगिक इकाईयों को लीजडीड का क्रियान्वयन किया जायेगा।
2. लीजडीड क्रियान्वयन हेतु पूर्व से निर्धारित आहर्ता- प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के 30% स्थल पर व्यय के संबंध में निर्णय लिया गया कि - यदि किसी इकाई को वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो एवं किसी वित्तीय संस्थान द्वारा सैद्धांतिक रूप से ऋण देने हेतु सहमति दी गई हो एवं लीजडीड के बाद ही राशि विमुक्त करने का आश्वासन दिया गया हो तो, उस परिस्थिति में 30% से कम निवेश पर लीजडीड निबंधन करने का अधिकार प्रबंध निदेशक को दिया जाता है।

प्रबंध निदेशक का आदेश  
दिनांक 18.06.2014

ह0/-  
सचिव।

ज्ञापांक:- 3195 / 18/अप्रबिदिन

दिनांक:- 19-06-14

प्रतिलिपि :- सचिव, बियाडा/ मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी, बियाडा/ कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पटना/भागलपुर/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/ परामर्शी विधि, बियाडा/ परामर्शी आई.टी., बियाडा/ प्रबंध निदेशक के विशेष सहायक, बियाडा पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव।

